

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-405) अलेसे- I/ 6609-6616

दिनांक:- 15.07.15

आदेश संख्या: 71 /2015-16

श्री महावीर प्रसाद सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर, जिनकी जन्मतिथि 07.11.1955 (लिंग नं0-5291) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 13.09.1975 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2015 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (3) (क) के तहत पत्नि के असाध्य कैंसर रोग से पीडित होने के कारण नोटिस अवधि में शिथिलता का अनुरोध करते हुये दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गई है।

अतः श्री महावीर प्रसाद सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, की राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (3) (ख) के अन्तर्गत नोटिस अवधि में शिथिलता देते हुये दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/ नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महावीर प्रसाद सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-405) अलेसे- I/ 6609-6616

दिनांक:- 15.07.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक (नागरिक आपूर्ति) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर शहर जयपुर
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. श्री महावीर प्रसाद सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, (लिंग नम्बर-5291), कार्यालय- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर
4. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)